उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-25/2016/1006/तीस-4-2016-135/89
लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 56 के उप नियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-2452/तीस-4-2008-135/89, दिनांक 11 नवम्बर, 2008, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-19 पर अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार दी जायेंगीं, अर्थात:-

अनुसूची

क्र0 सं0	संभागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य	संभाग का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4	5
19	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, सहारनपुर	1.आयुक्त, सहारनपुर मण्डल -अध्यक्ष 2.उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) मेरठ -सदस्य 3.श्री कलीमुलहक पुत्र स्व0 इफ्फतखारूलहक निवासी काजियान, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर । -सदस्य	सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-25/2016/1006(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 17 अगस्त, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉं परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-25/2016/1006(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- अपर परिवहन आयुक्त (पश्चिम), मेरठ ।
6- उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), मेरठ ।
7- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर।
9- श्री कलीमुलहक पुत्र स्व0 इफ्फतखारूलहक निवासी-काजियान, कस्बा व तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.25/2016/ 1006 /XXX-4-2016-135/89 dated, August 17, 2016.

Notification

No.25/2016/ 1006 / xxx-4-2016-135/89

Lucknow: Dated, August 17 , 2016

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 56 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification no.2452/XXX-4-2008-135/89 dated, November 11, 2008:-

AMENDMENT

In the aforesaid Notification, in the Schedule for the entries at the serial no-19 the following entries shall coloumnwise be substituted, namely:-

SCHEDULE

Sr. No.	Name of the Regional Transport Authority	Members of the Regional Transport Authority	Name of the Region	Area
1	2	3	4	5
19.	Regional Transport Authority, Saharanpur	1- Commissioner, Saharanpur Division -Chairman 2- Deputy Transport Commissioner (Zone) Meerut. -Member 3-Sri Kalimulhak S/o Late Sri Ifatakharullhak R/o Kaziyan,Tahsil-Jansath, Distt-Muzaffarnagar. -Member	Saharanpur	Saharanpur Muzaffarnagar and Shamli.Districts .

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।